आखिरी जांच: 20 अक्टूबर 2026 · Marine Products Export Development Authority (MPEDA)

Scheme for Advanced Technological Transformation in Aquaculture (ATTA)

एमपीईडीए की एटीटीए योजना उन मौजूदा जलकृषि इकाइयों को पूंजीगत सहायता देती है जो झींगा जैसी निर्यात प्रजातियों के लिए उन्नत अति-सघन तकनीक अपनाती हैं। एमपीईडीए की साइट पर केवल 2025-26 का दिशानिर्देश है।

क्या मिल सकता है

2025-26 के दिशानिर्देश में कल्चर इकाई की मान्य पूंजीगत लागत का 50% मिलता है, अधिकतम 30 लाख रुपये तक। अनुसूचित जाति या जनजाति के लाभार्थियों के लिए यह 75% है, अधिकतम 45 लाख रुपये तक। पूर्वोत्तर, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप की इकाइयों पर भी 75% की दर लागू है।

किसके लिए है

निर्यात प्रजातियों की मौजूदा, चालू अति-सघन जलकृषि इकाइयों के मालिक, चाहे व्यक्ति, समिति, स्वयं सहायता समूह, ट्रस्ट, कंपनी, साझेदारी या सरकारी संस्था हो।

मुख्य शर्तें

- 2025-26 के दिशानिर्देश के अनुसार इकाई 1 अप्रैल 2020 से बनी और चालू होनी चाहिए, और कम से कम दो सफल फसलों का रिकॉर्ड होना चाहिए।
- पाली गई प्रजातियों की बिक्री से मिली राशि इकाई को मिलने वाली सहायता से कम से कम तीन गुना होनी चाहिए।
- इकाई में सभी अनिवार्य घटक हों: ग्रो-आउट टैंक, पाइपलाइन और बिजली का सामान, एयरेटर या ब्लोअर, पंप, जनरेटर सेट और जैव-सुरक्षा का ढाँचा।
- हर ग्रो-आउट टैंक कम से कम 500 घन मीटर का हो और इकाई नियामक प्राधिकरणों के नियमों का पालन करे।
- जिस इकाई या किसान को इस योजना में सहायता मिल चुकी है, उसे आगे के वर्षों में दोबारा नहीं मिलेगी।
- जमीन की लागत और इस्तेमाल की हुई या पुरानी मरम्मत की मशीनरी पर सहायता नहीं मिलती।

दस्तावेज़

- जमीन के मालिकाना हक का दस्तावेज या पट्टा
- जमीन किराये की हो तो वैध पट्टा समझौता और मालिक व किरायेदार का संयुक्त वचनपत्र
- साझेदारी फर्म के लिए मुख्तारनामा, या कंपनी के लिए बोर्ड प्रस्ताव
- तय प्रारूप में 200 रुपये के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर शपथ पत्र
- 5000 रुपये आवेदन शुल्क और उस पर 18% जीएसटी
- परियोजना रिपोर्ट
- बिल, वाउचर, रसीद और भुगतान के तरीके के साथ खर्च का विवरण
- रद्द किया हुआ चेक और बैंक स्टेटमेंट
- अनुसूचित जाति या जनजाति के लाभार्थियों के लिए जाति प्रमाणपत्र
- चार्टर्ड इंजीनियर का प्रमाणपत्र
- कुल परियोजना लागत पर चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रमाणपत्र

आवेदन कैसे करें

1. एमपीईडीए आवेदन की अवधि पहले अपनी वेबसाइट पर बताता है, और अंतिम तारीख तक मिले आवेदन ही आगे बढ़ते हैं। अभी कोई खुली अवधि नहीं दिखती।
2. अवधि खुलने पर परियोजना रिपोर्ट और दिशानिर्देश में बताए दस्तावेजों के साथ आवेदन तैयार करें और 5000 रुपये व जीएसटी का शुल्क साथ में जमा करें।
3. एमपीईडीए की क्षेत्रीय समिति इकाई का निरीक्षण कर जियो-टैग फोटो के साथ रिपोर्ट भेजती है, फिर मुख्यालय की तकनीकी समिति सहायता की सिफारिश करती है।
4. मंजूर सहायता लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण से भेजी जाती है।
5. सवाल aqua@mpeda.gov.in पर भेजे जा सकते हैं।

स्थिति

आखिरी तारीख: 30 सितंबर 2025

आधिकारिक स्रोत: https://mpeda.gov.in/wp-content/uploads/2025/07/Aquaculture_Scheme_Announcement_new.pdf
आधिकारिक PDF: https://mpeda.gov.in/wp-content/uploads/2025/07/Aquaculture_Scheme_Announcement_new.pdf
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/central/mpeda-atta-aquaculture/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।